राजस्थान सरकार
आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर।
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, पिन.302005

क्रमांकः एफएसडीसी/सीएमआईएस–नशीली/ई–00694(पार्ट–18)/2024/1503 दिनांकः 4/3/24

//आदेश//

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 04.03.2024 से 18.03.2024 तक राज्य में नशे के रूप में औषधियों के दुरूपयोग को रोकने हेतु सम्पूर्ण राज्य में विशेष अभियान चलाया जायेगा। सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा जिले में नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधियों के अवैद्य क्रय–विक्रय, भण्डारण में लिप्त संस्थाओं को चिन्हित कर स्वयं की देख–रेख में औषधि नियंत्रण अधिकारियों से कार्यवाही संपादित की जायेगी। इस हेतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागो का सहयोग लिया जाना सुनिश्चित करें।

विशेष अभियान में प्रत्येक औषधि नियंत्रण अधिकारी के द्वारा कम से कम 03 संस्थाओं के निरीक्षण प्रतिदिन किये जायेगें। निरीक्षण के दौरान नशे के रूप में दुरूपयोग की जाने वाली औषधियों के क्रय–विक्रय बिलों की जॉच तथा गुणवत्ता की जॉच हेतु प्रत्येक औषधि नियंत्रण अधिकारी प्रतिदिन कम से कम 01 औषधियों का नमूना लिया जाना सुनिश्चित करेगें।

सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा प्रत्येक दिवस की कार्यवाही रिपोर्ट श्री नरेन्द्र रैगर, सहायक औषधि नियंत्रक, आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

औषधि नियंत्रक–द्वितीय
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण,
राजस्थान, जयपुर

औषधि नियंत्रक–प्रथम
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफएसडीसी/सीएमआईएस–नशीली/ई–00694(पार्ट–18)/2024/. दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी)।
5. निजी सहायक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, आयुक्तालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, समस्त जिला, राजस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान कराने हेतु।
7. निजी सचिव, पुलिस अधिक्षक, राजस्थान पुलिस को आवश्यक सहयोग प्रदान कराने हेतु।
8. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, कोटा।
9. उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रिय नारकोटिक्स ब्यूरों।
10. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, निदेशालय।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
13. श्री नरेन्द्र रैगर, सहायक औषधि नियंत्रक, आयुक्तालय को निर्देशित किया जाता है कि सहायक औषधि नियंत्रकों से प्राप्त अभियान की सूचना को ईकजाई कर संकलित सूचना प्रस्तुत करें।
14. श्री नीजर चाहर एवं श्री सांवरमल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, आयुक्तालय को निर्देशित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र रैंगर, सहायक औषधि नियंत्रक, आयुक्तालय को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
15. प्रभारी, सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय, जयपुर को सभी संबंधितों को ईमेल एवं विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref 5903247

Document certified by Ajay Phatak <DRUGCONTROLLER1.MH@RAJASTHAN.GOV.IN>.

Digitally Signed by AJAY PHATAK
Designation: Drug Controller
Date :01-03-2024 03:40:27

RajKaj Ref 5915598

Document certified by RAJA RAM SHARMA <DRUGCONTROLLER2.MH@RAJASTHAN.GOV.IN>.

Digitally Signed by RAJA RAM SHARMA
Designation: Drug Controller
Date :02-03-2024 05:00:51

Scanned with OKEN Scanner